परिशिष्ट–3

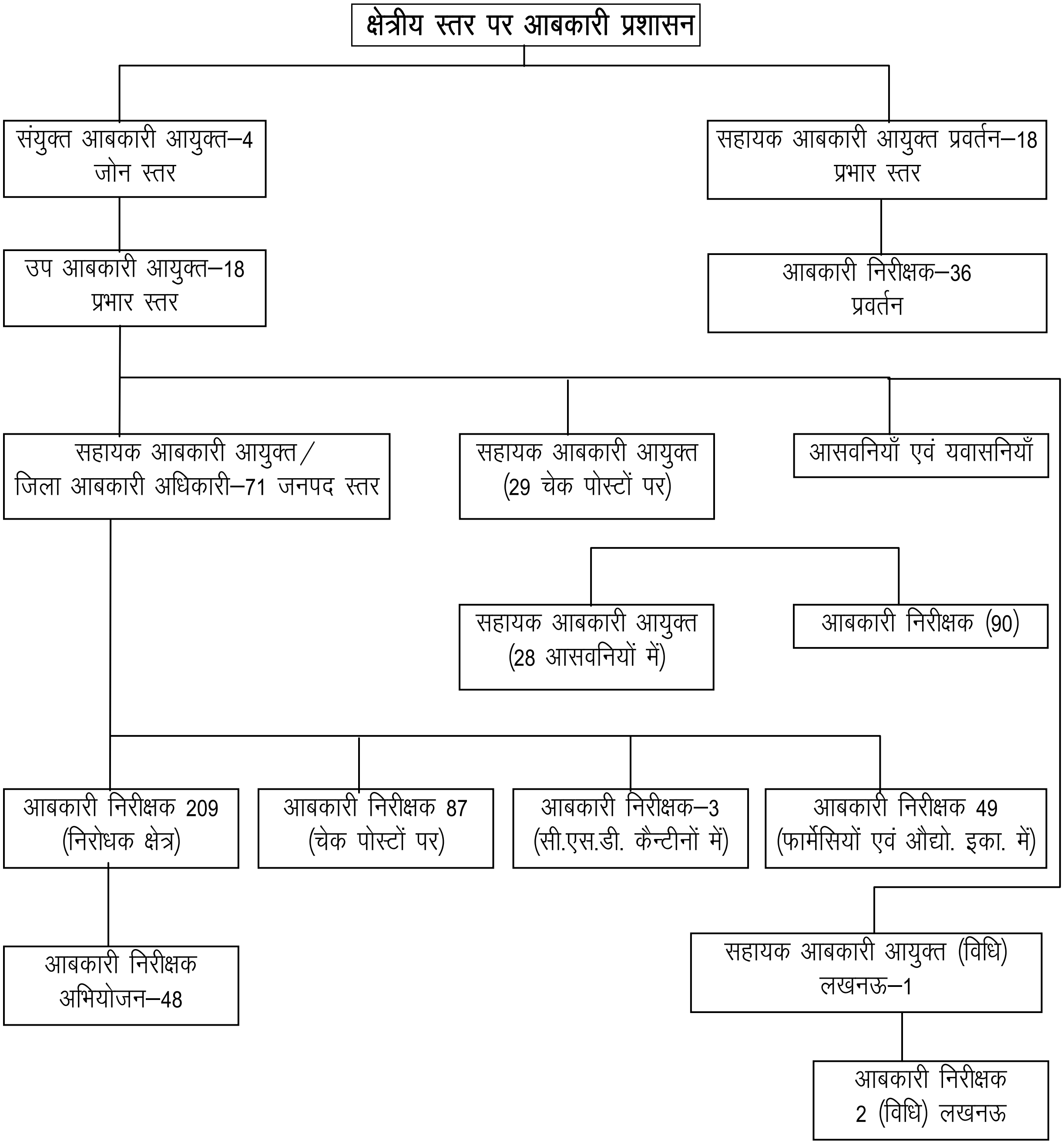
क्षेत्रीय स्तर पर आबकारी प्रशासन
संयुक्त आबकारी आयुक्त–4 जोन स्तर
सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन–18 प्रभार स्तर
उप आबकारी आयुक्त–18 प्रभार स्तर
आबकारी निरीक्षक–36 प्रवर्तन
सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी–71 जनपद स्तर
सहायक आबकारी आयुक्त (29 चेक पोस्टों पर)
आसवनियाँ एवं यवासनियाँ
सहायक आबकारी आयुक्त (28 आसवनियों में)
आबकारी निरीक्षक (90)
आबकारी निरीक्षक 209 (निरोधक क्षेत्र)
आबकारी निरीक्षक 87 (चेक पोस्टों पर)
आबकारी निरीक्षक–3 (सी.एस.डी. कैन्टीनों में)
आबकारी निरीक्षक 49 (फार्मेसियों एवं औद्यो. इका. में)
आबकारी निरीक्षक अभियोजन–48
सहायक आबकारी आयुक्त (विधि) लखनऊ–1
आबकारी निरीक्षक 2 (विधि) लखनऊ

परिशिष्ट – 2

उत्तर प्रदेश आबकारी मुख्यालय की कार्यकारी संरचना

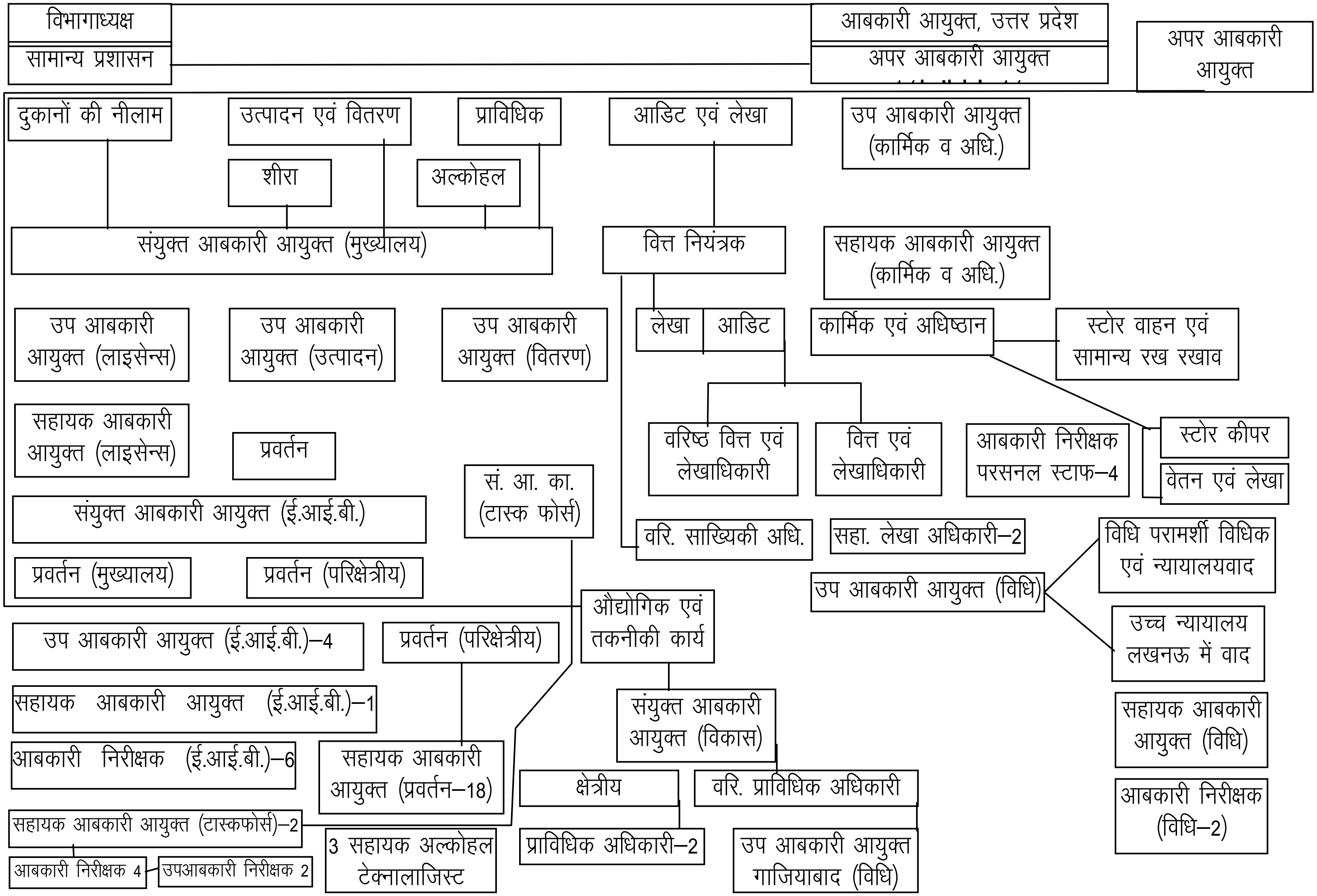

(ग) आबकारी नीति वर्ष 2006–07

वर्ष 2004–05 में देशी शराब की एम.जी.क्यू. 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में निर्धारित करके प्रदेश की देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन सम्पन्न कराया गया। प्रत्येक जनपद का एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत बनाया गया, जिससे अधिकांश दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम चरण में ही संभव हो सका। वर्ष 2004–05 में देशी शराब की कुल निर्धारित दुकानों 10814 में से 10774 का, विदेशी मदिरा की कुल निर्धारित दुकानों 2265 में से 2243 का तथा बियर की कुल निर्धारित दुकानों 2026 में से 2009 का व्यवस्थापन हो चुका है।

वर्ष 2004–05 में अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु निम्न प्राविधान किये गये–

1. एफ0 एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये की गयी।
2. एक व्यक्ति को 2 से अधिक देशी शराब दुकानें लेने के प्रतिबंध को समाप्त किया गया।
3. आबकारी दुकानों की समयावधि बढ़ाकर प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक की गयी।
4. विदेशी मदिरा को एम0आर0पी0 को राउण्ड आफ् करते हुए 5 के गुणांक में अलगे स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि भी प्रतिफल के रूप में लेने का प्राविधान किया गया।
5. विदेशी मदिरा पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2/– प्रति बोतल की जगह पर 4/– प्रति ब. ली. किया गया।
6. वाइन पर आयात शुल्क 2/– प्रति 750 एम. एल. से बढ़ाकर 3/– प्रति लीटर किया गया।
7. कम तीव्रता के मादकपेय के निर्यात अन्य प्रान्तों में हो सके इसलिए निर्यात शुल्क 1/– प्रति लीटर निर्धारित किया गया।
8. अन्य प्रान्तों में निर्मित कम तीव्रता के अल्कोहलिक ब्रुवरेज के लिए बाण्ड का प्राविधान किया गया और 25000/– बाण्ड की लाइसेंस फीस वार्षिक निर्धारित की गयी।
9. बियर पर निर्यात शुल्क 50 पैसे से बढ़ाकर 1/– प्रति लीटर किया गया।
10. बियर पोर्टर, साइडर एवं कम तीव्रता के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन का प्राविधान किया गया।
11. बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन का प्राविधान किया गया।
12. अल्कोहल पर आयात परमिट फीस रू. 1.50 प्रति लीटर से लिए जाने का प्राविधान किया गया।

13. सभी प्रकार के विकृत स्प्रिट पर डिनेचुरेशन फीस 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे प्रति लीटर निर्धारित की गयी।

14. सभी प्रकार के अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीसमें रू. 25000/— की वृद्धि की गयी।

15. बी.डब्ल्यू.एफ.एल.—2ए, बी.डब्ल्यू.एफ.एल.—2बी, बी.डब्ल्यू.एफ.एल.—सी की प्रतिभूति राशियाँ बढ़ाई गयी।